

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, मध्य प्रदेश भोपाल
दूरभाष 0755-2578491 फैक्स 2768159, ई-मेल-dirhort@mp.nic.in

क्र०/अ-1-स/स्था./46/2017-18/1127 भोपाल, दिनांक 7.12.18

//आदेश//

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/अ-1-स/स्था/46/2017-18/5019, दिनांक 06.07.2017 द्वारा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के नियुक्ति कर पदस्थापना आदेश जारी किया गया है जिसमें 40 कर्मचारियों द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उन रिक्त पदों पर म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पत्र क्र/पीईबी/5-प-1/8064/2016, दिनांक 28.12.2016 एवं क्र/पीईबी/प-1/636/2017, दिनांक 17.01.2017 से प्राप्त प्रतीक्षा सूची के लिए चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2400 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अन्य आगामी आदेश होने तक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उनके नाम समक्ष दर्शाये गये स्थान पर नियुक्ति कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम एवं पिता का नाम	जाति	गृह जिला	कार्यालय का नाम
1	श्री जितेन्द्र कुमार धाकड़/श्री रमनलाल धाकड़	सामान्य	करौली राजस्थान	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, झाबुआ
2	श्री अरविंद सिंह भाटी/श्री चैनसिंह भाटी	सामान्य	मन्दसौर	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सीधी
3	श्री मनु चौबे/श्री महेश चन्द्र चौबे	सामान्य	नीमच	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, झाबुआ
4	श्री नरेन्द्र कुमार/श्री जशरथ शर्मा	सामान्य	भिण्ड	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, बालाघाट
5	श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्रा/श्री हरिशंकर मिश्रा	सामान्य	रीवा	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, दमोह
6	श्री विनोद कुमार तिवारी/श्री द्वारका प्रसाद तिवारी	सामान्य	सतना	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सिंगरौली
7	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा/श्री सुरेश प्रसाद मिश्रा	सामान्य	रीवा	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, ग्वालियर
8	श्री विक्रम सिंह यादव/श्री मधुराज सिंह यादव	सामान्य	सिंगरौली	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, रीवा
9	श्री योगेश उपाध्याय/श्री सत्य नारायण उपाध्याय	सामान्य	मन्दसौर	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सीधी
10	इन्दिरा यादव/श्री मोतीलाल यादव	सामान्य	चित्तौड़गढ़ राजस्थान	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, दमोह
11	श्री पुनीत तिवारी/श्री मनभरन प्रसाद तिवारी	सामान्य	रीवा	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, बालाघाट
12	श्री धीरज कुमार गुप्ता/श्री रतनलाल गुप्ता	सामान्य	सीधी	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, भिण्ड

क्र.	नाम एवं पिता का नाम	जाति	गृहजिला	कार्यालय का नाम
13	श्री आकाश दीप जैन/श्री खेमराज जैन	सामान्य	देवास	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, डिण्डौरी
14	श्री रामावतार गुप्ता/श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	सामान्य	मुरैना	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सीधी
15	श्री मनीष कुमार नागर/श्री राम नारायण नागर	सामान्य	बरान राजस्थान	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, शिवपुरी
16	श्री रवि प्रताप सिंह/श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया	सामान्य	ग्वालियर	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सीधी
17	श्री अनुशील महेश्वरी/श्री सुरेश महेश्वरी	सामान्य	झालावाड राजस्थान	कार्या. उप संचालक उद्यान, बैतूल
18	श्री रितेश सूर्यवंशी/श्री बालचन्द्र सूर्यवंशी	सामान्य	शाजापुर	कार्या. उप संचालक उद्यान, बैतूल
19	श्री प्रसन्न कुमार/श्री कृष्ण प्रताप सिंह	सामान्य	ललितपुर उत्तरप्रदेश	कार्या. उप संचालक उद्यान, सतना
20	श्री राजीव रघुवंशी/श्री हरि प्रकाश	सामान्य	अशोकनगर	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सीधी
21	श्री राधेश्याम धनोरा/श्री बद्रीलाल धनोरा	अ.पि.वर्ग	धार	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, मण्डला
22	श्री सूरज सिंह गौर/श्री धनलाल	अ.पि.वर्ग	सीहोर	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, छतरपुर
23	श्री महावीर पटेल/श्री शेरू पटेल	अ.पि.वर्ग	खरगौन	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, डिण्डौरी
24	हेमलता धाकड/श्री लक्ष्मण धाकड	अ.पि.वर्ग	ग्वालियर	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, शिवपुरी
25	वर्षा नामदेव/श्री भगवत प्रसाद नामदेव	अ.पि.वर्ग	बिलासपुर	कार्या. उप संचालक उद्यान, आगरमालवा
26	जयश्री गोस्वामी/श्री बालगिरी	अ.पि.वर्ग	जबलपुर	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सीधी
27	शाजिया खॉन/श्री मुक़ीम खॉन	सामान्य	छिंदवाडा	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, छतरपुर
28	निधि निगम/श्री कैलाशनाथ निगम	सामान्य	शहडोल	कार्या. सहायक संचालक उद्यान, रीवा
29	प्रीति निरंजन/श्री प्रेमनारायण निरंजन	सामान्य	सीहोर	कार्या. उप संचालक उद्यान, आगरमालवा
30	प्रतिभा जाटव/श्री एस.बी. जाटव	सामान्य	गुना	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, शिवपुरी
31	प्रियंका तिवारी/श्री बी.पी. तिवारी	सामान्य	टीकमगढ़	कार्या. उप संचालक उद्यान, बैतूल
32	वन्दना द्विवेदी/श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी	सामान्य	रीवा	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, सीधी
33	अकिता मिश्रा/श्री रामभरोसे मिश्रा	सामान्य	दमोह	कार्या. उप संचालक उद्यान, बैतूल
34	श्रद्धा भटनागर/श्री प्रकाश	सामान्य	टीकमगढ़	कार्या. उप संचालक उद्यान, बैतूल

क्र.	नाम एवं पिता का नाम	जाति	गृह जिला	कार्यालय का नाम
35	श्री राजकुमार/श्री चैन सिंह	अ.ज.जा.	बडवानी	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, दमोह
36	श्री योगेन्द्र सिंह उईके/श्री चैन सिंह उईके	अ.ज.जा.	बालाघाट	कार्या. उप संचालक उद्यान, बैतूल
37	श्री रवि मण्डलोई/श्री चन्द्र सिंह मण्डलोई	अ.ज.जा.	धार	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, मण्डला
38	श्वेता जमरा/श्री रेल सिंह	अ.ज.जा.	खरगौन	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, नरसिंहपुर
39	स्नेहलता सोलंकी/श्री बलीराम सोलंकी	अ.ज.जा.	खरगौन	कार्या. सहा. संचालक उद्यान, नरसिंहपुर
40	ममता सोलंकी/श्री विठ्ठलदास सोलंकी	अ.ज.जा.	बडवानी	सहायक सहा. उद्यान, झाबुआ

नियुक्ति की शर्तें :-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करेंगे अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा, सत्यापन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित की सेवाएं नियुक्ति दिनांक से बिना कारण दर्शाये समाप्त कर दी जावेंगी।
3. नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश अथवा अन्य प्रदेश के किसी भी पुलिस थाने में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं उनका चरित्र उत्तम है।
4. संबंधित कार्यालय की यह जिम्मेदारी होगी कि नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्य पर उपस्थित कराने के पूर्व अभ्यर्थी से उनके शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे एवं प्रमाणित कर एक छाया प्रति कार्यालयीन नस्ती में रखेंगे किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर संबंधित को कार्य पर उपस्थित कराने के पूर्व ही संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
5. नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण के पूर्व मेडीकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी चयन सूची/आदेश में वर्णित क्रमानुसार होगी।
7. अस्थाई नियुक्ति के दौरान अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेंगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा तीन माह का नोटिस या एक माह का वेतन जमा कर सेवा से सत्यागपत्र दिया जा सकेगा। एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का वेतन तथा भत्ते दिये बिना सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्तों के अनुसार देय रकम भू-राजस्व या बकाया देय राशि से वसूल की जा सकेगी।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
10. दो वर्ष पश्चात् परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर ही वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।

11. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जायें और उन्हें लागू किया जाये के अधीन रहेगा।
12. नवनियुक्त ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों की सेवायें म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 एवं समय-समय पर संशोधित नियम तथा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं उप नियमों के अधीन रहेगी।

(सत्यानंद)

आयुक्त

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
भोपाल म.प्र.

क्र०/अ-1-स/स्था./46/2017-18/1128

भोपाल, दिनांक 7-12-18

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल
3. संयुक्त संचालक उद्यान,..... संभाग (समस्त)
4. उप संचालक उद्यान, जिला(समस्त)
5. सहायक संचालक उद्यान, जिला (समस्त)
6. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी की ओर पालनार्थ,
आप अपनी उपस्थिति संबंधित संयुक्त/उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करेंगे।
7. आदेश नस्ती।

आयुक्त

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
भोपाल म.प्र.